भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +2523
सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं

+2523. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि कितनी है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)' और 'बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी) की अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश में पर्यटन का समग रूप से संवर्द्धन करता है। इन योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है।

पर्यटन मंत्रालय देश के भीतर घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन तथा प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाता है। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ आला पर्यटन उत्पादों पर फोकस के साथ देश के भीतर पर्यटन का संवर्द्धन करना, सामाजिक जागरूकता संदेशों का प्रसार करना और पर्यटन क्षमता वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं हैं:

1) स्वदेश दर्शन: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमे देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों / केंद्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं के तहत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

2) प्रशाद: "तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन" पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में चिह्नित तीर्थ और विरासत गंतव्यों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से आरम्भ की गई है।

3) पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट, भारत पर्यटन विकास निगम आदि को केंद्रीय वित्तीय सहायता। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत पर्यटक परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच), बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी), स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजनाओं के तहत आवंटित निधियों का **विवरण संलग्न** है

****

अनुबंध

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं के सम्बन्ध में दिनांक 13.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +2325 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2014-2015 से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण:

(करोड़ रु में)

क्र सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	आंध्र प्रदेश	3	141.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49
3.	असम	2	185.66
4.	बिहार	5	272.86
5.	छत्तीसगढ	1	96.10
6.	गोवा	2	197.00
7.	गुजरात	3	179.68
8.	हरियाणा	1	97.35
9.	हिमाचल प्रदेश	1	80.69
10.	जम्मू और कश्मीर	6	522.35
11.	झारखंड	1	52.72
12.	केरल	5	418.60
13.	मध्य प्रदेश	4	350.67
14.	महाराष्ट्र	2	73.07
15.	मणिपुर	2	126.03
16.	मेघालय	2	184.1
17.	मिजोरम	2	158.63
18.	नगालैंड	2	195.50
19.	उड़ीसा	1	70.82
20.	पंजाब	1	91.55
21.	राजस्थान	4	310.63
22.	सिक्किम	2	193.37
23.	तमिलनाडु	1	73.13

24.	तेलंगाना	3	268.39
25.	त्रिपुरा	2	147.84
26.	उत्तर प्रदेश	8	490.71
27.	उत्तराखंड	2	145.49
28.	पश्चिम बंगाल	1	85.39
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1	27.57
30.	पुडुचेरी	3	186.59
31.	मार्गस्थ सुविधाएँ (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	1	17.93

वर्ष 2014-2015 से तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण:-

(करोड़ रु में)

क्र सं	राज्य संघ राज्य क्षेत्र /	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि ₹
1	आंध्र प्रदेश	2	70.85
2	अरुणाचल प्रदेश	1	37.88
3	असम	1	29.99
4	बिहार	2	45.81
5	छत्तीसगढ	1	43.33
6	गुजरात	3	105.56
7	हरियाणा	1	49.52
8	जम्मू और कश्मीर	1	40.46
9	झारखंड	1	39.13
10	केरल	1	46.14
11	मध्य प्रदेश	2	94.82
12	महाराष्ट्र	1	37.81
13	मेघालय	1	29.32
14	नगालैंड	1	25.26
15	ओडिशा	1	50.00
16	पंजाब	1	6.40
17	राजस्थान	1	32.64
18	सिक्किम	1	33.32
19	तमिलनाडु	2	18.85
20	तेलंगाना	1	36.73

21	त्रिपुरा	1	37.84
22	उत्तराखंड	3	128.37
23	उत्तर प्रदेश	6	139.75
24	पश्चिम बंगाल	1	30.03

वर्ष 2014-2015 से केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण:- (लाख रु में)

वर्ष	राज्य का नाम	केंद्रीय एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि ₹
2017-18	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)	293.55
	पंजाब	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)	1312.00
	हरियाणा	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)	600.00
	आंध्र प्रदेश	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)	708.67
	दिल्ली	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)	1404.00
	महाराष्ट्र	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1250.00
2018-19	गोवा	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	1316.40
	केरल	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	120. 79
	केरल	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	466.47
	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	3850.00
	पंजाब	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)	2302.00
2019-20	दिल्ली	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम)	4373.00
	दिल्ली	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम)	380.00
	केरल	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1029.70
	उत्तर प्रदेश (वाराणसी और इलाहाबाद- I, इलाहाबाद- II), बिहार (भागलपुर), पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और असम (नेमाती, पांडु, जोगीघोपा और विश्वनाथघाट)	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)	2803.05
2020-21	मध्य प्रदेश	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)	2316.30
	लेह एवं लदाख	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)	2321.99

	दिल्ली	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए)	616.72
	मिजोरम	वैपकोस	3994.75

आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) के तहत आवंटित निधि:

(करोड़ रु में)

क्रम सं	वर्ष	संशोधित अनुमान
1	2018-19	127.40
2	2019-20	100.00
3	2020-21	63.33

विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार' (ओपीएमडी) के तहत आवंटित निधि:

(करोड़ रु में)

क्र. सं	वर्ष	संशोधित अनुमान
1	2018-19	416.23
2	2019-20	312.39
3	2020-21	115.00

****